10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(64)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी R 854-PBR-17

आर.एल.-सेन
द्वारा आज दि. 10-3-17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10.3.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

डॉ. प्रेमशंकर शर्मा आत्मज श्री एल.आर. शर्मा , निवासी सेन्ट्रल अकादमी स्कूल हीरापुरा तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

...... आवेदक

बनाम

चेना आत्मज श्री कोका अ.हिरवार निवासी ग्राम ढकना चमना तहसील व जिला रायसेन

...... अनावेदक

आर.एल.सेन
10-3-17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा प्रकरण क्रमांक 114 / बी – 121 / कले / 2014– 15 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2015 के विरूद्व निगरानी।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-854-PBR/17 जिला - रायसेन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-05-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री आर0एस0सेंगर उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । दिनांक 25-9-2018 से म0प्र0भू-राजस्व संहिता (संशोधन) 2018 प्रभावशील हो जाने से अब कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित आदेश की निगरानी का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर आयुक्त न्यायालय द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(ए) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु आयुक्त न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हो । उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय के समक्ष दिनांक 11-6-2019 को उपस्थित हों । अध्यक्ष	